भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 721
25 जुलाई, 2025 को उत्तर देने के लिए

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत योजनाएं

721. श्री रायगा कृष्णैया:
श्रीमती ममता मोहंता:
डा. के. लक्ष्मण:
डा. कल्पना सैनी:
श्री मयंककुमार नायक:
श्री सुधांशु त्रिवेदी:
श्री बृज लाल:
श्रीमती माया नारोलिया:
श्री बाबू राम निषाद:
श्रीमती किरण चौधरी:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पीएमकेएसवाई देश भर में मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन परियोजनाओं को बढ़ावा दे रही है;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान ओडिशा राज्य सहित प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के अंतर्गत स्वीकृत मेगा फूड पार्कों और कोल्ड चेन परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ग) पीएमकेएसवाई के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा उनके उद्देश्य क्या हैं;

(घ) क्या यह योजना किसानों को बेहतर लाभ दिलाने और कृषि उपज की बर्बादी को कम करने में मदद करती है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क) और (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) एक केंद्रीय क्षेत्र की अम्ब्रेला योजना "प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)" का कार्यान्वयन कर रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत विभिन्न घटक योजनाएँ हैं, जिनमें कोल्ड चेन परियोजनाओं के लिए एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना और मेगा फूड पार्कों को बढ़ावा देने हेतु मेगा फूड पार्क योजना शामिल हैं। हालाँकि, मेगा फूड पार्क घटक योजना को 01.04.2021 से बंद कर दिया गया है।

मंत्रालय स्वयं परियोजनाएं स्थापित नहीं करता है, बल्कि वह योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार समय-समय पर जारी अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से इच्छुक संस्थाओं/संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित करता है। । पिछले तीन वर्षों के दौरान 66 कोल्ड चेन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें ओडिशा राज्य की 5 परियोजनाएं शामिल हैं। मेगा फूड पार्क योजना के अंतर्गत किसी भी परियोजना को मंजूरी नहीं दी गई है क्योंकि यह योजना 01.04.2021 से बंद कर दी गई है और इसमें 15वें वित्त आयोग चक्र के दौरान केवल प्रतिबद्ध देनदारियों के लिए प्रावधान किया गया है।

(ग): पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाओं का विवरण तथा उनका उद्देश्य **अनुबंध** में दिया गया है।

(घ) और (ङ): खाद्य प्रसंस्करण अवसंरचना सृजन के साथ, कृषि उत्पादों, जो खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल है, की मांग बढ़ती है जिससे किसानों को बेहतर मूल्य मिलते हैं और फार्म गेट लाभ बढ़ता है। पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के अंतर्गत जून, 2025 तक कुल 1601 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 1133 चालू/पूरी हो चुकी हैं, जिससे 3415102 किसान लाभान्वित हो रहे हैं।

फसलोत्तर अवसंरचना और प्रसंस्करण सुविधाओं के निर्माण से फसलोत्तर नुकसान में कमी आती है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं उद्यमियों को खाद्य प्रसंस्करण/परिरक्षण अवसंरचना की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ फसलोत्तर नुकसान को कम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज और रेफ्रिजरेटेड वाहन शामिल हैं।

नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड (नैबकॉन्स) द्वारा 2020 में "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) द्वारा सहायता प्राप्त एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना के अंतर्गत कार्यान्वित इकाइयों के प्रभाव" पर किए गए और मंत्रालय को प्रस्तुत मूल्यांकन अध्ययन के अनुसार, यह रेखांकित किया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य वर्धन अवसंरचना योजना के हस्तक्षेप के कारण, जबकि सभी क्षेत्रों में बर्बादी में कुछ कमी देखी गई, लेकिन फल और सब्जियां, डेयरी और मत्स्य पालन क्षेत्र में बर्बादी में महत्वपूर्ण कमी देखी गई।

अनुबंध -1

दिनांक 25.07.2025 को उत्तर हेतु "पीएमकेएसवाई के अंतर्गत योजनाएं" के संबंध में राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 721 के भाग (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

योजना	उद्देश्य
(i) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना	खेत से लेकर उपभोक्ता तक बिना किसी रुकावट के एकीकृत शीत श्रृंखला और परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराना।
(ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन	आधुनिक बुनियादी ढांचे के साथ सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला के माध्यम से उत्पादकों/किसानों के समूहों को प्रसंस्करणकर्ताओं और बाजारों से जोड़कर क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिए उद्यमियों के समूह को प्रोत्साहित करने के लिए आधुनिक बुनियादी ढांचे और सामान्य सुविधाओं का विकास/सृजन।
(iii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमताओं का सृजन/विस्तार	खाद्य उत्पादों के लिए प्रसंस्करण एवं परिरक्षण क्षमता का सृजन, ताकि उनका शेल्फ जीवन बढ़ाया जा सके, नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना की जा सके, प्रसंस्करण के स्तर को बढ़ाने के लिए मौजूदा खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तार किया जा सके, मूल्य संवर्धन किया जा सके, जिससे बर्बादी में कमी आए।
(iv) ऑपरेशन ग्रीन्स	उत्पादन क्लस्टरों और एफपीओ में प्रसंस्करण अवसंरचना को सहायता देकर और किसानों को बाज़ारों से जोड़कर किसानों की आय में वृद्धि करना। खेत से लेकर उपभोग स्थल तक अवसंरचना सुविधाओं का निर्माण करके फसल-पश्चात होने वाले नुकसान को कम करना, और उत्पादन क्लस्टरों के बीच संबंध स्थापित करके खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य वर्धन क्षमताओं को बढ़ाना।
(v) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना योजना	खाद्य गुणवत्ता नियंत्रण अवसंरचना को मजबूत करना तथा इसे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र और अन्य हितधारकों के लिए उपलब्ध कराना, ताकि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके और खाद्य नमूनों के विश्लेषण के लिए टर्न-अराउंड टाइम (टीएटी) को कम किया जा सके।
(vi) मानव संसाधन और संस्थान (आर एंड डी)	वाणिज्यिक मूल्य के साथ उत्पाद और प्रक्रिया विकास, कुशल प्रौद्योगिकियों, बेहतर पैकेजिंग, मूल्य वर्धन आदि के संदर्भ में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लाभ के लिए मांग आधारित अनुसंधान एवं विकास कार्य करना।